

चन्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस



अपील संख्या: 254 / 2014 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2014 / 00144

1. कमला पत्नी स्व. महावीर जाति जाट निवासी मोहन मगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़।

— अपीलान्त

बनाम

1. भानीसिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह जाति राजपूत निवासी रांयावाली हाल चक 226 आर.डी-आर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. मेहन्त कंवर पुत्री मेघसिंह जाति राजपूत निवासी रांयावाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. भूपसिंह पुत्र श्री सुखराम जाति जाट निवासी चक 226 आर.डी-आर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार।
5. शकुन्तला पुत्री सुभाष पुत्र आशाराम जाति जाट पत्नी स्व. सुरेन्द्र जाट पुत्र महावीर जाट निवासी पक्का भादवा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. पप्पू उर्फ जयपाल आयु 2-1/2 वर्ष नाबालिग पुत्र सुरेन्द्र जाट जरिये वली कुदरती शकुन्तला माता स्वयं
7. राधेश्याम पुत्र स्व. महावीर जाति जाट निवासी मोहन मगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ़ हाल केन्द्रीय कारागार बीकानेर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थित: श्री महावीर प्रसाद शर्मा
श्री राजेन्द्र सिंह शिमला

अभिभाषक अपीलान्तस
अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 2

निर्णय

दिनांक 28.05.2024

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 19.09.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि -

1- वादग्रस्त भूमि चक 226 आर.डी-आर तहसील सूरतगढ़ में जगमाल सिंह वगैरह में खाता में 50 बीघा भूमि मेहन्त कंवर पुत्री मेघराज सिंह जाति राजपूत निवासी रांयावाली के नाम से दर्ज थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 मेहन्त कंवर ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भानीसिंह को अपनी उक्त भूमि में से दिनांक 02.12.1980 को 25 बीघा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा उक्त भूमि विक्रय कर दी। उक्त भूमि चकबंदी में चक नं. 226 आर.डी-आर में मुरब्बा नम्बर 193/5 में रकबा पेमूद किया जिसमें 22 बीघा भूमि ही तसदीक है। उक्त 22 बीघा भूमि का इंतकाल संख्या 13 दिनांक 01.09.1993 को दर्ज कर दिया गया। शेष 28 बीघा भूमि पर मेहन्त कंवर पुत्री मेघसिंह के नाम दर्ज रहा। मेहनत कंवर ने अपनी 28 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 13.04.2006 से भूपसिंह पुत्र श्री सुखराम जाट रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को विक्रय कर दी। जिसका

संभागीय आयुक्त
बीकानेर



इतकाल संख्या 56 दिनांक 18.4.2006 को भूपसिंह रेस्पोजेन्ट संख्या 3 के नाम दर्ज किया गया। भूपसिंह पुत्र सुखराम जाट ने उक्त भूमि को जरिये बैयनामा दिनांक 20.06.2007 अपीलांत कमला पत्नी महावीर जाट एवं महावीर जाट पुत्र भादर राम जाट को विक्रय की गई। जिसका तहसीलदार सूरतगढ़ ने इतकाल संख्या 59 दिनांक 17.01.2008 को दर्ज कर दिया। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार सूरतगढ़ के इतकाल संख्या 56 दिनांक 18.04.2006 के विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपील यह कहते हुए स्वीकार कर अपीलाधीन इतकाल संख्या 56 दिनांक 18.04.2006 को आंशिक रूप से 3 बीघा भूमि की सीमा तक अपास्त कर अपील को तहसीलदार सूरतगढ़ को रिमाण्ड कर दी। अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 19.09.2011 से व्यथित होकर अपीलांत ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2- विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपनी बहस में कथन किया है रेस्पोजेन्ट संख्या 2 मेहन्त कंवर ने रेस्पोजेन्ट संख्या 1 भानीसिंह को अपनी उक्त भूमि में से दिनांक 02.12.1980 को 25 बीघा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रय कर दी। उक्त भूमि चकबंदी में चक नं. 226 आर.डी-आर में मुरब्बा नम्बर 193/5 में रकबा पेमूद किया जिसमें 22 बीघा भूमि ही तस्दीक हुई। उक्त 22 बीघा भूमि का इतकाल संख्या 13 दिनांक 01.09.1993 को दर्ज कर दिया गया। शेष 28 बीघा भूमि पर मेहन्त कंवर पुत्री मेघसिंह के नाम दर्ज रहा। मेहन्त कंवर ने अपनी 28 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 13.04.2006 से भूपसिंह पुत्र श्री सुखराम जाट रेस्पोजेन्ट संख्या 3 को विक्रय कर दी। जिसका इतकाल संख्या 56 दिनांक 18.4.2006 को भूपसिंह रेस्पोजेन्ट संख्या 3 के नाम दर्ज किया गया। भूपसिंह पुत्र सुखराम जाट ने उक्त 28 बीघा भूमि को जरिये बैयनामा दिनांक 20.06.2007 अपीलांत कमला पत्नी महावीर जाट एवं महावीर जाट पुत्र भादर राम जाट को विक्रय की गई। जिसका तहसीलदार सूरतगढ़ ने इतकाल संख्या 59 दिनांक 17.01.2008 को दर्ज कर दिया। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा घोषणात्मक एवं इस्तकरार हक का पेश कर रखा है जिसका निर्णय अभी तक नहीं हुआ है फिर भी तहसीलदार सूरतगढ़ ने इतकाल संख्या 56 को आंशिक रूप से 3 बीघा भूमि तक अपास्त कर दिया। जो कानून गलत है। वादग्रस्त 3 बीघा भूमि को कमला पत्नी महावीर एवं महावीर पुत्र भादरराम ने सन् 2007 से खरीद कर रखा है। अपीलांत के कब्जा काश्त है। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में जानबूझकर अपीलांत को अपील में पार्टी नहीं बनाया और अपने पक्ष में एक पक्षीय कार्यवाही करवाकर निर्णय पारित करवा लिया है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 19.09.2011 को खारिज किया जावे एवं तहसील सूरतगढ़ के इतकाल संख्या 56 दिनांक 18.4.2006 को यथावत रखा जावें। अभिभाषक अपीलांत द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत. का हवाला दिया है

1. आर.आर.डी. 2002 पेज संख्या 284
2. आर.आर.डी 2010 पेज संख्या 392
3. आर.आर.डी 2020 पेज संख्या 393
4. आर.आर.डी 2002 पेज संख्या 284
5. आर.आर.डी 1998 पेज संख्या 319

राज्य आयोग
बीकानेर

3- विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित भूमि को इतकाल संख्या 13 दिनांक 01.09.1993 एवं 56 दिनांक 18.04.2006 कानून के विपरीत है। वादग्रस्त भूमि चक 226 आर.डी-आर तहसील सूरतगढ़ में जगमाल सिंह वगैरह में खाता में 50 बीघा भूमि मेहन्त कंवर पुत्री मेघराज

